अर्द्धशा0 परिपत्र संख्या- 14 /2012

अतुल

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ

दिनांक–लखनऊः मार्च 14 , 2012

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय में विवेचना पुलिस को कानून-व्यवस्था पुलिस से पृथक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके कम में शासनादेश संख्या- 260(1)/छः-पु-9-2007 दिनांक 7.9.2007 को जारी किया गया है।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा त्वरित गुणवत्त विवेचना तथा जनता के साथ बेहतर समन्वय को ध्यान में रख कर उपरोक्त निर्देश जारी किये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि पृथकीकरण में विवेचना पुलिस एवं कानून व्यवस्था पुलिस के आपसी समन्वय को भी ध्यान में रखा जाय। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पृथकीकरण प्रारम्भ में ऐसे नगरीय क्षेत्रों में लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक की है तत्पश्चात क्रमशः इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाना है।

3. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कासिम बनाम उत्तर प्रदेश में अपने पारित आदेश दिनांक 24.1.2012 में उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पृथकीकरण की व्यवस्था मेरठ में किये जाने तथा अन्य क्षेत्रों में इसे लागू किये जाने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

4. जनपद प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं वाराणसी विवेचना पुलिस में नामांकन हेतु योग्य विवेचकों का चिन्हांकन शासनादेश संख्या-260(1)/छः-पु-9-2007 दिनांक 7.9.2007 के अनुरूप कर लें। चिन्हांकन में इसका ध्यान रखा जाय कि चिन्हांकित पुलिस कर्मी की आम ख्याति एक ईमानदार पुलिस कर्मी की हो तथा वह किसी दुराचरण का दोषी न पाया गया हो।

5. पुलिस उप महानिरीक्षक, जनपद मेरठ द्वारा नगरीय क्षेत्र के कुल 13 थानों में विवेचना पुलिस के गठन हेतु पुलिस उप निरीक्षकों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। **जनपद मेरठ में उपरोक्त पृथकीकरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।** साथ ही साथ पुलिस उप महानिरीक्षक, जनपद मेरठ यह सुनिश्चित कर लें कि चिन्हांकन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुये सूची तैयार की गयी है।

6. विवेचना पुलिस द्वारा त्वरित गुणवत्त विवेचना सुनिश्चित किये जाने हेतु विवेचकों को सहायतार्थ मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है अतएव जनपद मेरठ द्वारा नामांकन एवं अन्य जनपदों द्वारा चिन्हांकन में प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के थाना हेतु एक मुख्य आरक्षी तथा प्रत्येक विवेचक की सहायता के लिए दो आरक्षियों का चयन कर लिया जाय।

7. विवेचना पुलिस द्वारा विशेष आख्या अपराध के ऐसे अपराधों की विवेचना की जाएगी जो थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभिदिष्ट की जाए अथवा ऐसे अन्य अपराधों की विवेचना जो जनपद प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें अभिदिष्ट की जाए।

8. विवेचना पुलिस से विवेचना के अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाएगा जिससे इनके द्वारा विवेचना सम्बन्धी कार्य को पूर्ण मनोयोग से किया जा सके।

9. विवेचना पुलिस में नामित/चिन्हांकित पुलिस कर्मियों की सूची मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अतिरिक्त इस प्रयोजन हेतु नामित नोडल अधिकारी को भी एक सप्ताह के भीतर प्रेषित की जाएगी जिससे इनको विवेचना हेतु आवश्यक विधि विज्ञान का प्रशिक्षण तथा गुणवत्त विवेचना के लिए अन्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

10. वर्तमान समय में **पृथकीकरण की यह व्यवस्था मेरठ में तत्काल लागू किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।** पुलिस उप महानिरीक्षक, जनपद मेरठ विवेचना पुलिस की क्रियाशीलता एवं उपयोगिता का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी साप्ताहिक आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, अपने द्वारा पुलिस महानिदेशक को प्रेषित किए जाने वाले मासिक अर्द्धशासकीय पत्र में विवेचना पुलिस की कार्रवाइयों का मूल्यांकन एवं इसके प्रभावी करने हेतु सुझाव सम्मिलित करेंगे जिससे इस अनुभव का लाभ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को मिल सके।

11. निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी।

भवदीय

अतुल 14.3.

(अतुल)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0।

पुलिस उपमहानिरीक्षक,
जनपद-मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं वाराणसी ।

प्रतिलिपि- पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं वाराणसी को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।